

5600

Amul W. No 2

5206



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 79483c5c7954f2cb97a9

Receipt Date : 30-Oct-2021 01:05:13 pm

Receipt Amount : 64000/-

Amount In Words : Sixty Four Thousands Rupees Only

Token Number : 20210000116086

Office Name : SRO - Bokaro

Document Type : Sale Deed

Payee Name : BACHCHE KHAN (Vendee)

GRN Number : 2108188223



नियम 21 के अधीन ग्राह्य: भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची। संख्या..... के अधीन यथावत् स्टाम्प-शुल्क लगाया गया है। यः स्टाम्प शुल्क स.....विमुक्त है।

For Office Use :-

64000

Subscribed
AGY 48000 = 00
Scler 3 = 00
Pr 1 = 00
4 = 00
48004 = 00

मूल्यकन जीवा

निबधन पदाधिकारी
बोकारो
01/11/21

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

600000

Ladika Simpa
Rupa



Rupa Singh
01/11/2021

Latika Singh
01/11/2021

"केवाला दस्तावेज"

केवालादातागणः— 1. श्रीमती रूपा सिंह, आधार संख्या—8760 6904 9647, PAN-GJAPS2847Q, मो0 नं0—6201658961, पति—श्री राजु सिंह एवं माता—मनु माया देवी एवं पिता—खड़ग बहादुर सिंह तथा पितामह—दल बहादुर थापा, सामान्य वर्ग, पेशा—गृहणी निवास स्थान—प्लॉट नं0 781, बसंत विहार, चिरा चास, पो0 वो थाना—चास, 2. श्रीमती लतिका सिंह, आधार संख्या—4104 9765 7517, PAN-CJZPS0361N, मो0 नं0—9431955700, पति—श्री कृष्णा कुमार सिंह एवं माता—ललिता सिंह एवं पिता—विजय कुमार सिंह तथा पितामह—कृष्णा सिंह, सामान्य वर्ग, पेशा—गृहणी निवास स्थान—सेक्टर 11/सी, क्वाटर नं0 4124, बी0एस0सिटी, जिला—बोकारो, झारखंड। (सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 (1) बी के दायरे से बाहर है।)

केवाला ग्रहिताः— बच्चे खान माता—नैमुल निशा एवं पिता—अफताब अहमद खान तथा पितामह—सिराजुद्दीन खान, सामान्य वर्ग, पेशा—व्यवसाय निवास स्थान—प्लॉट नं0 216, कॉ—ऑपरेटिव कॉलोनी, आम्रपाली क्लब के पास, बी0एस0सिटी, जिला—बोकारो, झारखंड। भारतीय। आधार संख्या—6037 9860 9256, PAN-AMOPK9355L, मो0 नं0—9507224466

लेख्यप्रकारः— बिक्रय पत्र (Absolute Sale Deed)।

बिक्रय केवाला दस्तावेज का मूल्य 16,00,000/— (सोलह लाख) रुपये मात्र। मौजा "चास" के अन्दर रकवा 08 डि0 (आठ डिसमिल) जमीन मात्र। जिसका सालाना मालगुजारी 10 पैसा, वर्तमान मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार अंचल कार्यालय चास।

जमीन किस्मः— आवासीय योग्य खाली जमीन है, जो चास नगर निगम के वार्ड नं0 02 में अवस्थित है। हाल्डिंग नं0—0020002835000M0, है।

दस्तावेज में अंकित प्लॉट
वन भूमि से बाहर है।


दस्तावेज में अंकित खाता/प्लॉट
अंचल से निकट सूची से बाहर है

Rup Singh

01/11/2021



Katika Sanyal
01/11/2021



तफशील सम्पत्ति:- जिला बोकारो सदर सब रजिस्ट्री ऑफिस बोकारो स्थान चास थाना चास के अन्तर्गत 30 नं० थाना भुक्त मौजा "चास" के अन्दर चास रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री किया हुआ विगत दिनांक 22/08/2019 तारीख का 3348 नं० केवाला दस्तावेज सपन पाल वगैरह के तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त जहांगीर शाह एवं मोहम्मद शाहिद के निकट से एक नं० दात्री के निज नाम से केवाला खरीदा हुआ सम्पत्ति होता है। जिसका खाता नं० 263 (दो सौ तिरसठ) शामिल प्लॉट नं० 116 (एक सौ सोलह) खरीदा रकवा 13 डि० में से रकवा 11 डि० बिक्री बाद अवशिष्ट रकवा 02 डि० जमीन बिक्री किया। रजिस्ट्रर II का भोलुम नं० 169, पेज नं० 39 में दर्ज है एवं मालगुजारी वसुल है।

उक्त थाना जिला मौजा के अन्दर चास रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री किया हुआ विगत दिनांक 22/08/2019 तारीख का 3347 नं० केवाला दस्तावेज सपन पाल वगैरह के तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त जहांगीर शाह एवं मोहम्मद शाहिद के निकट से दो नं० दात्री के निज नाम से केवाला खरीदा हुआ सम्पत्ति होता है। जिसका खाता नं० 263 (दो सौ तिरसठ) शामिल प्लॉट नं० 112 (एक सौ बारह) खरीदा रकवा 01 डि० एवं प्लॉट नं० 114 (एक सौ चौदह) खरीदा रकवा 02 डि० एवं प्लॉट नं० 116 (एक सौ सोलह) खरीदा रकवा 02 डि० तथा प्लॉट नं० 119 (एक सौ उन्नीस) खरीदा रकवा 01 डि०, कुल चार प्लॉट में रकवा 06 डि० सम्पूर्ण बिक्री किया। रजिस्ट्रर II का भोलुम नं० 169, पेज नं० 38 में दर्ज है एवं मालगुजारी वसुल है।

कुल एक खाता चार प्लॉट में कुल बिक्रीत रकवा 08 डि० (आठ डिसमिल) जमीन मात्र आज आपके हाथ केवाला बिक्री किया एवं आज ही से दखल कब्जा दिया। जिसका चौहद्दी:-

उत्तर-शोभा देवी एवं रास्ता 30 फीट	दक्षिण-30 फीट रास्ता
पूरब-प्लॉट नं० 112, 114, 116, 119 का अंश	पश्चिम-शोभा देवी एवं 40 फीट रास्ता

इस दस्तावेज के साथ नत्थी किया हुआ नक्शा लाल रंग से रंगाकर "B" चिन्हित बिक्रीत जमीन दिखाया गया है।

दाताओं का वंशावली

दाताओं के निज नाम से केवाला खरीदा हुआ सम्पत्ति है।

चूँकि बिक्रय केवाला दस्तावेज का विवरण यह है कि हमलोगों के घरेलु खर्च एवं अन्यान्य संसारिक खर्च के लिए रूपयें कि विशेष आवश्यकता आ जाने पर आज हमलोगों ने अपना निजांश भुक्त तपशीलोकत सम्पत्ति का सर्वोच्च समयोचित मूल्य 16,00,000/- (सोलह लाख रूपये) चेक द्वारा लेकर यह केवाला दलिल लिख दिया।

Rup Singh
01/11/2021

Katika Singh
01/11/2021

आप आज तारीख से उक्त बिक्रीत सम्पत्ति का सालाना खारीज लगान उपरोक्त के हिसाब से साल साल वर्तमान मालिक जमीनदार झारखंड सरकार के हाथ में अदाय देकर आप अपने नाम से मालगुजारी रसीद आदि लेकर दान, बिक्रय, हस्तांतरण आदि का स्वामित्व हासिल कर कच्चा पक्का मकान, कुँआ, बाग-बगीचा आदि अपनी इच्छानुसार जैसा चाहे वैसा करके पुत्र पौत्रादी सह वंश परमपरा में परम सुख से भोग दखल करते रहेंगे। इसमें हमलोग या हमलोगों के उत्तराधिकारियों में से किसी का कुछ भी हक व अधिकार न होगा और करने पर बिलकुल ही नजायज समझा जाएगा।

प्रकाश रहे कि उक्त बिक्रीत जमीन इससे पूर्व किसी दुसरे के हाथ एग्रीमेंट, दान, बिक्रय एवं किसी तरह का हस्तांतरण आदि नहीं किया हुआ है, इसके साथ साथ किसी संस्था आदि से ऋण-भार आदि नहीं किया हुआ है तथा बिलकुल ही पाक व साफ अवस्था में आज आपके हाथ बिक्री किया। तथापि यदि भविष्य में उक्त बिक्रीत जमीन बावत किसी भी प्रकार का त्रूटी प्रमाण हो तो हमलोग या हमलोगों के बारिसन सहित सम्पूर्ण क्षति पूर्ति का भुगतान करने को बाध्य होंगे। तफशील प्रकाशित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि या सरकारी अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है।

घोषणा पत्र

बिक्रेता एवं क्रेता यह घोषणा करते है कि दस्तावेज में उनके द्वारा संलग्नित सभी तथ्य बिलकुल सही है तथा जो कागजात का छाया प्रति संलग्न है बिलकुल सही है, यदि किसी प्रकार का गलत साबित होता है तो सारी जिम्मेदारी पक्षगणों की होगी।

अतः हमलोग अपनी-अपनी शरीर और मन कि स्वस्थ अवस्था में सोच समझकर बिना किसी जोर वो दबाव में यह केवाला दस्तावेज सम्पादन कर दिया। जो कि समय पर काम आवे तथा प्रमाण रहे ईति अंग्रेजी सन् 2021 दिनांक 28/10/2021।

Rupasingh
01/11/2021

Katila Singh
01/11/2021

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र इस दस्तावेज में लगा है, के बाये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे समक्ष लिया गया है। एवं दाता एवं ग्रहिता के कथनानुसार यह दस्तावेज लिखकर सम्पादन किया एवं दोनों पक्ष को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया।
प्रारूपकर्ता:- श्री ब्रह्मनन्द दे मो० चास।

क्रेता का छायाचित्र
हस्ताक्षर व निशान :-



Bachche Khan

Bachche Khan

01/11/2021

गवाहगण


1. नाम:- स्वयंसेवक बाशरणा सिंह
पिता:- श्री अनन्त बाशरणा सिंह
पता:- खरहर एच B QN. 14
श्री ००० सीटी
01/11/2021

(2) Yadav Chandra Mahab
s/o Late Basu Mahab
of Vill. Andhartolia
P.S. Chas (M) Dist. Bokaro
01/11/2021




PART PLAN OF MOUZA - "CHAS", THANA NO. 30, P.S.- CHAS PARGANA-KHASPEL, DISTRICT - BOKARO (JHARKHAND)


Schedule of Land		
Khatano	Plot No	Area
263	112	01 deai
	114	02 deai
	116	04 deai
	119	01 deai
Total sale land		08 deai



Vendor: (1) Smt- Rupa Singh
w/o - Sri, Raju Singh Resident
at:- plot No - 781, Basant Bihar
Chira chas p.o + p.s - chas
Dist - Bokaro.
(2) Smt - Latika Singh w/o
Sri, Krishna Ks. Singh Resident
at - see 11/c & NO - 4124 B.S. city.



Vendee: - Bachche Khan s/o -
Late - Aftab Ahmad Khan
Resident at - plot No 216 -
CO-operative colony, Amrapali
Club Kepar B.S. city Dist
Bokaro.



RUPA Singh
Latika Singh

Butted and Bounded as :-

<u>North - Shoba Devi & Rasta 30 Feet</u>
<u>South - 30 feet Rasta</u>
<u>East - Rest part of Plot No - 112, 114, 116, 119</u>
<u>West - Shoba Devi & 40 feet Rasta</u>

NOTE :- Details of Area scheduled demarcated 'B' with red colour in map

CHAS MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 512724280120012317

Date : 28-01-2020

प्रभावी : 2 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री RUPA SINGH W/O RAJU SINGH,
मोहल्ला CHIRACHAS, CHAS CHAS, 8340619438
BOKARO, 827013

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0020002835000M0 वार्ड सं. 2 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	394.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		394.00



[Blank box for signature]

To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, CHAS MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
- हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- CHAS MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन डुमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई वानुनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

Rupa Singh Lakika Singh

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चास (बोकारो)।

--: भूमि संबंधी पत्र :-

प्रमाण पत्र संख्या ...1866.....

दिनांक 21/01/2020

हल्का सं०- III के हल्का कर्मचारी आलोक कुमार शुभा
एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा - चास
थाना नं०- 30 खाता नं०- 263 खेसरा नं०- 112, 114, 116, 119
रकबा- 0.26 ए भूमि पंजी (II) के भाग सं० 169 के पृष्ठ सं० 39
में रूपा सिंह पिता/पति राजु सिंह
के नाम जमाबन्दी कायम है। आवेदन भूमि रैजिस्ट्री खाते की है।

नोट -

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

राजस्व कर्मचारी,
H.No. III (हास)

अंचल निरीक्षक,
चास
21/01/2020

अंचल अधिकारी,
चास
21/01/2020

Rupasinh